कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004
:: संशोधन आदेश ::

भोपाल, दिनांक 05/08/2021

क्रमांक : 1039/214/आउशि/शा–5 'अ.गु.'/2021 :: मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 544/94/सीसी/ 2021/अड़तीस, भोपाल दिनांक 15.07.2021 द्वारा सत्र 2021–22 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्वांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय–सारणी जारी किये गए है।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शिका **में** निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

(1) बिन्दु क्रमांक 6.1.5

संशोधन :–बिन्दु क्रमांक 6.1.5 की प्रथम पंक्ति में स्नातक अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर के स्थान पर स्नातक अंतिम वर्ष/**स्नातक** अंतिम सेमेस्टर, तृतीय पंक्ति में सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के स्थान पर सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से **तृतीय** सेमेस्टर ,चतुर्थ एवं पंचम पंक्ति में स्नातक अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर के स्थान पर स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक अंतिम सेमेस्टर एवं पंचम एवं षष्ठ पंक्ति में सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के स्थान पर सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से **तृतीय** सेमेस्टर पढ़ा जावें।

(2) बिन्दु क्रमांक 6.4.1

संशोधन :–बिन्दु क्रमांक 6.4.1 में स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्टम (छठवें) सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक द्वितीय वर्ष/तृतीय, पंचम सेमेस्टर की अंकसूची के साथ तृतीय वर्ष/षष्टम (छठवें) सेमेस्टर की नेट से डाउनलोड की गयी अंकसूची को स्व–सत्यापित कर एक साथ स्केन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(3) बिन्दु क्रमांक 6.4.5

संशोधन–

मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी आवेदक जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मध्यप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की है किन्तु आवेदक अन्य राज्य का निवासी है उन्हें पंजीयन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र न होने अथवा प्रक्रियाधीन होने की स्थिति में उन्हें मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होने संबंधी निर्धारित प्रपत्र में स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवासी का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(4) बिन्दु क्रमांक 8.11 एवं बिन्दु क्रमांक 22.

संशोधन :–बिन्दु क्रमांक 8.11 एवं बिन्दु क्रमांक 22 विधि पाठ्यक्रम पर लागू नहीं होगा, शेष पर यथावत लागू होगा।

(5) बिन्दु क्रमांक 25.1 (द)

संशोधन :–जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के विस्थापिततों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये प्रावधान लागू होंगे। शेष बिन्दु यथावत लागू होंगे।

(6) बिन्दु क्रमांक 26.2

निर्देश :– प्रावधान विलोपित।

निर्देश:–ऐसे आवेदक जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय त्रुटि हो गयी है उन्हें त्रुटि सुधार हेतु किसी भी शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेंटर) में उपस्थित होकर आवेदन को EDIT करवाना होगा । तत्पश्चात आवेदक को च्वाईस फिल कर पुनः शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेंटर) से सत्यापन कराना आवश्यक होगा।

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश.

पृ. क्रमांक : 1040/214/आउशि/शा–5 'अ.गु.'/2021 भोपाल, दिनांक 05/08/2021

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,म.प्र.।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा,म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
5. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/ छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा, म.प्र.।
6. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
8. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, एम.पी.नगर भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु ।
9. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
10. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश.